

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून।**

(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सीलिंग हेतु आदेश)

पत्रांक:- 34-14/4 वाद संख्या सी-1059/एस-1/2021
सेवा में,

दिनांक 08/21/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है विपक्षी मौ० इकराम, प्रधान एनक्लेव, बाहमण वाला, हरिद्वार वाईपास रोड, देहरादून द्वारा भूतल पर लगभग 40 गुणा 60 फीट क्षेत्रफल में गोदाम का अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2021 को धारा 27 (1) एवं 28 (1) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुए वाद संख्या सी-1059/एस-1/2021 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 04.04.2022 सील आदेश पारित किये गये। जिसे दिनांक 08.04.2022 को सील किया जाना था। किन्तु अपरिहार्य कारणों से सील की कार्यवाही नहीं हो पायी। जिसे दिनांक 15.10.2022 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को चालान शुद्धा निर्माण को सील की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-1—जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

करें।

3—सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4—समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5—नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को दो वाहन एवं सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6—मौ० इकराम/हितवद्ध व्यक्ति, प्रधान एनक्लेव, बाहमणवाला, हरिद्वार वाईपास रोड, देहरादून को सील आदेश दिनांक 04.04.2022 पत्रांक 50 अनुसार इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि से पूर्व चालान शुद्धा परिसर को खाली कर दें एवं स्थल पर उपस्थित रहें। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है।



सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।